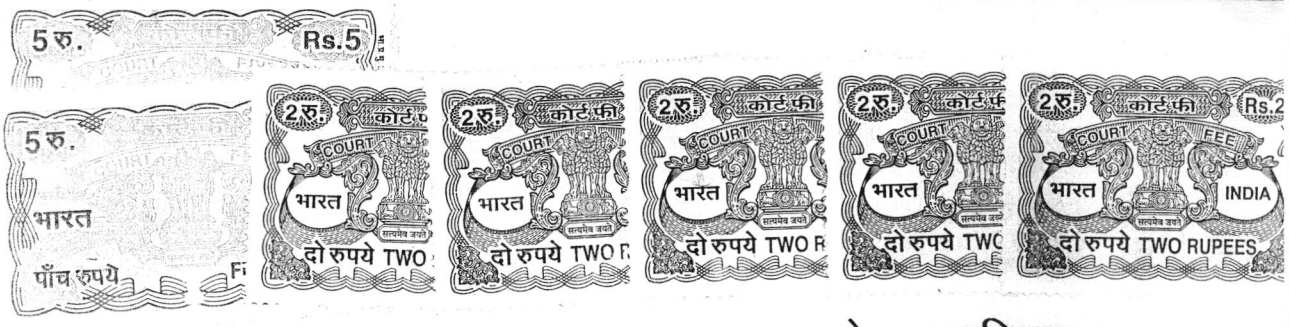

5रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये
2रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0क0 विविध – /2019/जबलपुर/भू0रा0

कमलसिंह बरकड़े उम्र 37 वर्ष विविध-0701/2019/जबलपुर/भू0रा0
पिता श्री विपतलाल बरकड़े (गोंड)
निवासी घाट पिपरिया थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर ———— आवेदक

विरूद्ध

1– श्री विष्णु कुशवाहा पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा
निवासी शॉप नं. 18, प्रथम तल राबरा शापिंग कॉम्पलेक्स,
कटंगा जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ———— अनावेदकगण

06-6-19
12-6-19

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक अपील 2191–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 04–7–16 की शर्त कमांक 3 को विलोपित करने तथा प्रस्तावित केता अनावेदक कमांक 1 के नाम में परिवर्तन बावत)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध/0701/2019/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-19	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा अपील प्र0क्र0 2191-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-7-16 को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई थी और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । इस अवधि को बाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4-11-16 द्वारा 3 माह के लिए और बढाया गया तथा उक्त अपील के प्रत्यर्थी क्रं. 1 एवं 2 के स्थान पर अन्य गैर आदिवासी व्यक्तियों को भूमि विक्रय की अनुमति दी गई । आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा कुछ भूमि का विक्रय गैर आदिवासी व्यक्तियों को कर दिया गया । उक्त अपील के प्रत्यर्थी क्रं. 3 (इस प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2) को शेष बची भूमि स्थित ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37/37(हर्रई) रा.नि.मं. बरगी तहसील जिला जबलपुर खसरा क्रं.107/1 रकबा 0.160 तथा खसरा क्रं. 115 रकबा 0.98 हैक्टर के विक्रयपत्र का निष्पादन, इस कारण नहीं हो सका है क्योंकि उप पंजीयक द्वारा कई बार उनके समक्ष जाने पर यह कहा जा रहा है कि क्रेता द्वारा गाइड लाइन से दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । उक्त कारण से इस न्यायालय द्वारा दी गई अवधि भी समाप्त हो गई है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक क्रं. 1 द्वारा अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि वापिस किए जाने की मांग की जा रही है, जबकि आवेदक प्राप्त की गई अग्रिम राशि को वापिस देने की स्थिति में नहीं है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक क्रं. 1 द्वारा भूमि क्रय करने से इंकार करने के कारण आवेदक द्वारा अन्य गैर आदिवासी व्यक्तियों से सपंर्क करने	

प्रकरण क्रमांक - विविध/0701/2019/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	पर अन्य गैर आदिवासी क्रेता श्री अशोककुमार सिंघई पुत्र श्री मूलचंद सिंघई निवासी जबलपुर उक्त भूमि क्रय करने हेतु तैयार हैं और इस सबंध में आवेदक द्वारा उनसे भूमि विक्रय करने हेतु अनुबंध भी किया गया है, इस संबंध में उनके द्वारा अपना स्वयं का एवं प्रस्तावित क्रेता श्री अशोक कुमार सिंघई के शपथपत्र पेश करते हुए अनावेदक क्रं. 1 के स्थान पर गैर आदिवासी श्री अशोक सिंघई को उक्त भूमि विक्रय किए जाने की अनुमति दिए जाने तथा अवधि संबंधी शर्त क्रमांक 3 को विलोपित किए जाने का अनुरोध किया गया है । प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार के उपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37/37(हर्रई) रा.नि.मं. बरगी तहसील जिला जबलपुर खसरा क्रं. 107/1 रकबा 0.160 तथा खसरा क्रं. 115 रकबा 0.98 कुल रकबा 1.06 हैक्टर को अनावेदक क्रं. 1 के स्थान पर अन्य गैर आदिवासी क्रेता श्री अशोककुमार सिंघई पुत्र श्री मूलचंद सिंघई को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा तथा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । यह आवेदन तद्नुसार निराकृत किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	